न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बइजलास राकेश कुमार ।।. आर.ए.एस

...ण संख्या 80/2021/आवेदन 136 व 131 एलआरएक्ट

...राम पुत्र कुरडाराम उम्र 50 वर्ष जाति बलाई निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला ...कर।

— प्रार्थी

ब नाम

1. राज्य सरकार जरिये— तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. उप—तहसीलदार, उप—तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी जरिये— पुजारी श्री श्यामपुरी पुत्र मानपुरी जाति गोस्वामी निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. पानकी देवी पत्नि भगवानपुरी जाति गोस्वामी निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. कालूराम पुत्र उदाराम जाति बलाई निवासी ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. सहायक आयुक्त द्वितीय देवस्थान विभाग जयपुर।
7. छोटूराम
8. नारूराम } पुत्रगण रतनाराम
9. हरफुल
10. नेमीचन्द पुत्र कुरडाराम

जाति बलाई निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

— अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरस्ती

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से निरीक्षक देवस्थान विभाग जयपुर ने नोटेड किया।
3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य — दिनांक— 31.07.2023

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 1187 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 1184/1694 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना जिसकी खातेदारी प्रार्थी/वादी व प्रतिवादी गण संख्या 7 ता 10 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। खसरा नम्बर 1187 व 1184/1694 सडक के लगते खसरा नम्बर है इन खसरा नम्बर व हैक्टर में रकबा कनवर्ड करने पर 0.7800 हैक्टर होता है। इनके उपरान्त द्वितीय भू—प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 1187 के नवीन खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.1000 हैक्टर खसरा नम्बर 2068 का रकबा 0.6000 है, खसरा नम्बर 1184/1694 का नवीन खसरा नम्बर 2045/4611 रकबा 0.0800 है, बनाया जाकर नवीन रिकॉर्ड तैयार किया गया। यह है कि गत खसरा नं. 1187 के उत्तर में गत

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

खसरा नं. 1188 व दक्षिण में सडक एवं पूर्व में गत खसरा नं. 1189 व इनके बटा नं. 1189/1695 व पश्चिम में खसरा नम्बर 1186 व इनके बटा नम्बर लगते है। गत खसरा नम्बर 1189 में एक बटा नम्बर 1189/1685 जो कि गत खसरा नम्बर 1189 में ही तरमीम कर बनाया गया है। जो गत खसरा नम्बर 1187 के पूर्व दिशा में स्थित है। जो गत भूमियों के ट्रेस से स्पष्ट प्रगट होता हैं। उक्त खसरा नम्बर गत 1187 व सडक के बीच में किसी भी नक्शे व मौके पर नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। भू-प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरा नम्बर 1189, 1189/1695 से नवीन खसरा नम्बर 2064 बना दिया गया। गत खसरा नम्बर 1187 से बने नवीन खसरा नम्बर 2068 के दक्षिण में सडक व उसके बाद गत खसरा नम्बर 1183, 1184 से बने नवीन खसरा नम्बर आते है इसलिए वर्तमान खसरा नम्बर 2064 को गत खसरा नम्बर व गलत गत खसरा नम्बर से बनाया गया है। जो भू-प्रबन्ध को इस प्रकार का रिकॉर्ड तैयार करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त खसरा नम्बर 2064 गत खसरा नम्बर 1187, 1184, 1183 से तो बनाया जा सकता था। खसरा नम्बर 1189/1695 तो गत खसरा नम्बर 1189 का ही पार्ट/भाग है। गत खसरा नम्बर 1187 से बनाया नवीन खसरा नम्बर 2065 व खसरा नम्बर 2068 का नक्शा छोटा बना दिया गया था उसका क्षेत्रफल बढाकर जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल के बराबर कर दिया गया। खसरा नम्बर 2068 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 0.600 है. दर्ज कर रखा है। जबकि नक्शे का वास्तविक क्षैत्रफल 0.5600 हैक्टर ही आता है इस प्रकार वादी को 0.0400 हैक्टर भूमि नक्शे में कर दी गई जो दुरूस्ती योग्य है। नवीन खसरा नम्बर 2064 में से रकबा 0.0400 है. भूमि खसरा नम्बर 2068 में शामिल कर प्रार्थी/वादी के खसरा नम्बर 2068 का क्षेत्रफल मुताबिक जमाबन्दी के नक्शा दुरूस्त किया जावें। वादी की खातेदरी भूमि नवीन खसरा नम्बर 2068 का राजस्व रिकॉर्ड में क्षेत्रफल 0.6000 है. दर्ज किया गया एवं खसरा नम्बर 2045/4611 का राजस्व रिकॉर्ड (भू-प्रबन्ध के दौरान) तैयार रिकॉर्ड में 0.0800 है. दर्ज किया गया है। इस प्रकार दोनो खसरा नम्बर का क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध के दौरान तैयार रिकॉर्ड 0.6800 है. दर्ज किया जबकि इनका वास्तविक क्षैत्रफल खसरा नम्बर 2068 का रकबा 0.5600 है. व खसरा नम्बर 2045/4611 का रकबा 0.0400 है. अर्थात कुल 0.6000 है. किया गया जो इनका कोई अधिकार नहीं था। जो दुरूस्ती योग्य है एवं दुरूस्त किया जावें। वादी की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 1187 व 1184/1694 का मौके अनुसार नक्शा नहीं बनाया जाकर नवीन नक्शा नवीन खसरा नम्बर 2068 का नक्शा 0.0400 है. छोटा बना दिया गया और उसका क्षेत्रफल रिकॉर्ड गत क्षैत्रफल के अनुसार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 1184/1694 का क्षेत्रफल गत रिकार्ड के अनुसार 0.0800 है. है परन्तु दुरूस्ती से बने नवीन खसरा नम्बर 2045/4611 का क्षैत्रफल 0.0400 है. है। जो कि रिकॉर्ड में 0.0800 है. गत अनुसार दर्ज कर दिया। दोनों खसरा नम्बर का नक्शा दुरूस्त किया जावें जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षैत्रफल के बराबर हो सकें। प्रार्थी/वादी की खातेदारी की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2045/4611 का क्षेत्रफल 0.0800 है. के बजाय नक्शे के वास्तविक रकबा 0.0400 है. दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें एवं खसरा नम्बर 2068 का क्षैत्रफल 0.6000 है. के स्थान पर 0.6400 है. दर्ज कर खसरा नम्बर 2064 का क्षैत्रफल 0.0100 है. दर्ज कर तदनुसार खसरा नम्बर 2068 एवं खसरा नम्बर 2064 का नक्शा दुरूस्त किया जावें तथा

खसरा नम्बर 2038 का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से रकबा 0.0800 है. बढ़ाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त किया जाकर इसी अनुसार नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित है। वाद कारण आज से अर्सा करीब दस रोज पूर्व वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ़ के यहां कार्यालय में सम्पर्क कर रिकॉर्ड संशोधन हेतु पूछताछ की तो वादी को उक्त संशोधन हेतु श्रीमान के यहां दावा पेश करना लाजिम आया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 1187 व 1184/1694 का मौके अनुसार नक्शा नहीं बनाया जाकर नवीन नक्शा नवीन खसरा नम्बर 2068 का नक्शा 0.0400 है. छोटा बना दिया गया और उसका क्षेत्रफल रिकॉर्ड गत क्षेत्रफल के अनुसार दर्ज कर दिया। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 1184/1694 का क्षेत्रफल गत रिकार्ड के अनुसार 0.0800 है. है परन्तु दुरूस्ती से बने नवीन खसरा नम्बर 2045/4611 का क्षेत्रफल 0.0400 है. है। जो कि रिकॉर्ड में 0.0800 है. गत अनुसार दर्ज कर दिया। दोनो खसरा नम्बर का नक्शा दुरूस्त किया जावे जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल के बराबर किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती व रिकार्ड संशोधन करवाया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ने नोटेड किया। अप्रार्थी संख्या 6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नही किया इसलिए अप्रार्थी संख्या 6 का जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. तहसीलदार दांतारामगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ़ की प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया कि पुराने खसरा नम्बर 1187 व 1184/1694 के नये खसरा नम्बर 2068, 2045/4611, 2065 किता 3 रकबा 0.78 है0 है। प्रमाणित लठ्ठा शीट से वर्तमान नक्शे से मीलान करने से करीब 75–100 खसरो की सीमाओं में 10 एम.एम का अन्तर है तथा प्रभावित खसरो में घनी आबादी बस्ती होने के कारण जरीब चला कर सीमाओं का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में भू–प्रबन्धक टीम का सहयोग लिया जाकर ही प्रकरण में तथ्यात्मक सही रिपोर्ट दिया जाना सम्भव है। तत्पश्चात सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी जिसमें अंकन किया कि जमाबन्दी में गत खसरा नम्बर 1187 से बने नवीन खसरा नम्बर 2065 व 2068 का क्षेत्रफल क्रमशः 0.10 है. व 0.60 है. है और गत खसरा नम्बर 1184/1694 से बने नवीन खसरा नम्बर 2045/4611 का क्षेत्रफल 0.08 है. है। परन्तु कम्प्यूटर माप और वास्तविक मौका माप से खसरा नम्बर 2065, 2068 व 2045/4611 का क्षेत्रफल क्रमशः 0.10 है., 0.56 है. व 0.04 है. आता है। इसप्रकार कुल क्षेत्रफल 0.70 है. आता है। जो जमाबन्दी में दर्ज 0.78 है. से 0.08 है. कम आ रहा है। इसप्रकार 0.08 है. दुरूस्त योग्य है। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार खसरा नम्बर 2045/4611 का रकबा 0.04 है. जमाबन्दी में दर्ज कर खसरा नम्बर 2068 के वास्तविक मौका क्षेत्रफल 0.56 है. को 0.64 है. भी किया जा सकता है। क्योंकि नवीन खसरा 2064 गत खसरा नम्बर 1183 व 1184 से बना है। जो गत व हाल नक्शे के सुपर इम्पोज से प्रमाणित है (संलग्न पूर्व सुपर इम्पोज तथ्यात्मक रिपोर्ट)। अब क्षेत्रफल इसप्रकार होगा

खसरा नम्बर 2065, 2068 व 2045/4611 का क्षेत्रफल क्रमशः 0.10 है. 0.64 है. व 0.04 है. इसप्रकार कुल रकबा नाप 0.78 है. हो जायेगा। जो मुताबिक रिकॉर्ड के अनुसार है। मिलान क्षेत्रफल से नवीन खसरा नम्बर 2064 को गत खसरा नम्बर 1189/1695 से बनाया गया है। जबकि नवीन खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 1183, 1184 बनना प्रमाणित है। रिकॉर्ड खसरा नम्बर 2064 रिकॉर्ड 0.09 है. दर्ज है। जबकि नक्शे में 0.12 है. आता है। नवीन खसरा नम्बर 2064 पुराने खसरा नम्बर 1189, 1189/1695 से नहीं बन रहा जो नक्शे से प्रमाणित हो रहा हैं। मौके पर किया गया सर्वे, नवीन शीट, पुरानी शीट तीनों को सुपर इम्पोज किया गया। मौके का सर्वे लाल स्याही से, नवीन शीट काली स्याही से व पुरानी शीट नीली स्याही से दर्शाया गया है। नवीन खसरा नम्बर 2064 को भू-प्रबन्ध के दौरान मिलान क्षेत्रफल में 1189 व 1695 से बनाया जाकर अभिलेख तैयार किया गया। 1189/1695 बटा नम्बर मूल खसरा नम्बर 1189 में डाला गया है। नवीन खसरा नम्बर 2064 गत व हाल नक्शे के मिलान से खसरा नम्बर 1189 व 1189/1695 से नहीं बनना पाया जाता है नवीन खसरा नम्बर 2064 गत खसरा नम्बर 1183 व 1184 से बनना, गत व हाल नक्शे के सुपर इम्पोज से प्रमाणित है। आवेदन पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 2064 रकबा 0.09 है0 है, जबकि मौके पर भूमि खसरा नम्बर 2064 का रकबा 0. 12 है0 है तथा भूमि खसरा नम्बर 2068 का जमाबन्दी अनुसार रकबा 0.60 है0 है जबकि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रकबा 0.56 है0 है। अतः सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खसरा नम्बर 2064 रकबा 0.12 है0 है जबकि रिकार्ड में 2064 का रकबा 0.09 है0 है इसलिए रकबा 0.03 है0 अर्थात 300 वर्गमीटर भूमि खसरा नम्बर 2064 के पश्चिम भाग (पश्चिम दिशा) में से खसरा नम्बर 2068 में शामिल किया जाता है। रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शा तरमीम हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/23

(राकेश कुमार II)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर